रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2009/वैशाख 15, 1931
No. 74] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2009/VAISAKHA 15, 1931

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2009

सं. 7-1/90-सीसीएच (पार्ट I).—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 33 के खण्ड (ख), (ग) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (सामान्य) विनियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (सामान्य) संशोधन विनियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (सामान्य) विनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में,—

(i) खण्ड (ङ) का लोप किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ज) का लोप किया जाएगा;

3. मूल विनियम के विनियम 34 में, "10,000" अंकों के स्थान पर "20,000" अंक रखे जाएंगे ।

4. मूल विनियम के विनियम 47 के, परंतुक में "25,000" अंकों के स्थान पर "50,000" अंक रखे जाएंगे ।

5. मूल विनियम के विनियम 52 में, उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(2 क) विनियम 49 के उप-विनियम (1) के अधीन गठित समिति के निर्वाचित सदस्य की पदावधि, उसके निर्वाचन की तारीख से दो वर्ष और छः मास अथवा उस तारीख तक, जब तक कि इसके निर्वाचन के पश्चात् आगामी समिति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेती, जो भी बाद हो, तक होगा ।

(2 ख) समिति के सदस्य पुनः निर्वाचन हेतु पात्र होंगे ।

(2 ग) उप-विनियम (2 क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, समिति ऐसी परिषद् की अवधि की समाप्ति के साथ ही कार्य करना बंद कर देगी जिसने ऐसी समिति को निर्वाचित किया है ।

(2 घ) समिति का सदस्य समिति के अध्यक्ष को लिखित रूप में संबोधित करते हुए अपना पदत्याग कर सकेगा जो उसके पत्र में ऐसे सदस्य द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से अथवा उस तारीख से जब समिति के अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकृत किया जाता है, जो भी पहले हो, प्रभावी होगा :

परन्तु समिति का अध्यक्ष सभापति को लिखित रूप से संबोधित करते हुए अपना पदत्याग कर सकेगा और उसका त्याग पत्र सभापति द्वारा इसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा ।

(2 ङ) जब कभी अध्यक्ष की मृत्यु अथवा त्याग पत्र के कारण आकस्मिक रिक्ति होती है, तो समिति ऐसी समिति की शेष अवधि के लिए एक नए अध्यक्ष को निर्वाचित करेगी" ।

6. मूल विनियम के विनियम 56 में, "अनुसचिवीय और समूह 'घ' स्टाफ के सदस्य" शब्दों के स्थान पर "परिषद् के कर्मचारी" शब्द रखे जाएंगे ।

7. मूल विनियम के विनियम 61 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"61. (1) परिषद् का बैंकर भारतीय स्टेट बैंक अथवा कोई राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा इस बाबत में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य बैंक की स्थानीय शाखा होगी ।

(2) परिषद् की सभी निधियां उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट किसी बैंक में परिषद् के खाते में जमा की जाएगी और सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति तथा रजिस्ट्रार द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित चेकों के माध्यम से आहरित की जाएंगी "।

8. मूल विनियम के विनियम 68 में, "500" अंकों के स्थान पर "2000" अंक रखे जाएंगे ।

डॉ. ललित वर्मा, सचिव

[विज्ञापन 3/4/असा./147/09]

टिप्पण :—मूल विनियम संख्या 7-1/83-सीसीएच तारीख 15 नवम्बर, 1984 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 तारीख 30 नवम्बर, 1985 को प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना तारीख 26 अक्तूबर, 2004 के द्वारा संशोधन किया गया ।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2009

No. 7-1/90-CCH(PT. I).—In exercise of the powers conferred by clauses (b), (c) and (g) of section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Council of Homoeopathy (General) Regulations, 1984, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Council of Homoeopathy (General) Amendment Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Council of Homoeopathy (General) Regulations, 1984, (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2,

(i) clause (e) shall be omitted;

(ii) clause (h) shall be omitted.

3. In regulation 34 of the principal regulations, for the figures "10,000", the figures "20,000" shall be substituted.

4. In regulation 47 of the principal regulations, in the proviso, for the figures "25,000", the figures "50,000" shall be substituted.

5. In regulation 52 of the principal regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be inserted, namely:

"(2A) The term of office of an elected member of a committee constituted under sub-regulation (1) of regulation 49, shall be for the two years and six months from the date of his election or till the date the next committee takes over after its election, whichever is later.

(2B) A member of the committee shall be eligible for re-election.

(2C) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2A), the Committee, shall cease to function with the termination of the term of the Council that elected the such committee.

(2D) A member of the Committee may resign from his office in writing addressed to the Chairman of the Committee which shall take effect from the date, specified by such member in his letter or on the date when it is accepted by the Chairman of the committee, whichever is earlier:

Provided that the Chairman of the Committee may resign from his office in writing addressed to the President and his resignation shall take effect from the date of its acceptance by the President.

(2E) When a casual vacancy occurs by reason of death or resignatian of the Chairman, the Committee shall elect a new Chairman for remaining term of such Committee".

6. In regulation 56 of the principal regulations, for the words "Members of the Ministerial and Group 'D' staff ", the words "The employees of the Council" shall be substituted.

7. For regulation 61 of the principal regulation, the following regulation shall be substituted, namely :—

"61. (1) The Bankers of the Council shall be the local branch of the State Bank of India or any Nationalized Bank or any other Bank authorized by the Central Government in this behalf.

(2) All funds of the Council shall be paid in to the Council's account with any of the Bank referred in sub-regulation (1) and shall be withdrawn by means of cheques jointly signed by the President or in his absence Vice-President and the Registrar".

8. In regulation 68 of the principal regulations, for the figures "500", the figures "2000" shall be substituted.

Dr. LALIT VERMA, Secy.

[ADVT. 3/4/Exty./147/09]

Note :—The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 30th November 1985 *vide* No. 7-1/83-CCH, dated the 15th November, 1984 and subsequently amended *vide* notification dated the 26th October, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.